

सिंहस्थ सेवादूतों के लिए भोपाल में बनेगा अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र

राज्य ब्यूरो नईदुनिया, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने कहा कि सिंहस्थ 2028 विश्व का सबसे बड़ा धार्मिक मेला है। इसके भव्य और दिव्य आयोजन के लिए बड़ी संख्या में लोगों को पूरी क्षमता के साथ तैयार होना होगा। सिंहस्थ में आने वाले श्रद्धालुओं को किसी प्रकार की कठिनाई न हो, यह सभी का दायित्व है।

मुख्यमंत्री बुधवार को मुख्यमंत्री निवास में भारत स्काउट एंड गाइड के पदाधिकारियों एवं गाइड्स के साथ सिंहस्थ सेवा कार्य 2028 के संबंध में आयोजित विशेष संगोष्ठी को संबोधित कर रहे थे। उन्होंने कहा कि सिंहस्थ में भीड़ नियंत्रण सहित विभिन्न



व्यवस्थाएं संभालने वाले मास्टर ट्रेनर, सेवादूतों और स्वयंसेवकों के प्रशिक्षण के लिए भोपाल में अत्याधुनिक प्रशिक्षण केंद्र बनाया जाएगा। केंद्र बनने तक आवश्यकतानुसार सांदीपनि विद्यालय के भवनों और परिसरों का उपयोग किया जाएगा। डॉ. यादव ने कहा कि सेवा भारत स्काउट एवं गाइड का मूल मंत्र है और ‘तैयार रहो’ इसका ध्येय

वाक्य है। सिंहस्थ 2028 में सुरक्षित और सुव्यवस्थित आयोजन सरकार का लक्ष्य है। उन्होंने कहा कि इस बार भीड़ प्रबंधन बड़ी चुनौती होगी। उज्जैन सिंहस्थ में करीब 40 करोड़ से अधिक श्रद्धालुओं के आने का अनुमान है। उन्होंने बताया कि सिंहस्थ-2016 में करीब 7,500 स्काउट एवं गाइड ने 10 शिविरों के माध्यम से सेवाएं दी थीं। इस

बार 15 हजार से अधिक प्रशिक्षित स्वयंसेवक 20 से अधिक शिविरों के माध्यम से सेवा का मोर्चा संभालेंगे। आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से 100 मास्टर ट्रेनर तैयार किए जाएंगे। प्रदेश के प्रत्येक जिले से 500 तथा उज्जैन संभाग के जिलों से एक-एक हजार युवाओं को सेवादूत के रूप में प्रशिक्षित किया जाएगा। स्कूल शिक्षा एवं परिवहन मंत्री उदय प्रताप सिंह ने कहा कि स्काउट एंड गाइड को इंटरनेट और सामाजिक माध्यमों से फैलने वाली अफवाहों को रोकने के लिए भी प्रशिक्षित होना होगा। संगोष्ठी में विभिन्न अधिकारी एवं प्रदेश के सभी संभागों से आए सेवादूत उपस्थित रहे।



राज्यपाल मंगुभाई पटेल लोकभवन के कर्मचारी आवास परिसर में आयोजित गणेशोत्सव में शामिल हुए। उन्होंने भगवान श्री गणेश की विधिवत पूजा-अर्चना और आरती कर प्रदेश के विकास और प्रदेशवासियों की सुख समृद्धि के लिए प्रार्थना की।

गणेश प्रतिमा विसर्जन के लिए घाटों पर निगम ने की व्यापक व्यवस्थाएं

नईदुनिया प्रतिनिधि, भोपाल: अनंत चतुर्दशी पर भगवान श्रीगणेश की प्रतिमाओं के विधि-विधान से विसर्जन के लिए नगर निगम ने शहर के प्रमुख विसर्जन स्थलों, कुंडों और घाटों पर क्रैन, पोकलेन मशीन, गोताखोर, फायर ब्रिगेड और अन्य संसाधनों के साथ व्यापक व्यवस्थाएं की हैं।

निगम आयुक्त संस्कृति जैन ने व्यवस्थाओं की निगरानी के लिए वरिष्ठ अधिकारियों को नोडल अधिकारी, प्रभारी अधिकारी और सहायक प्रभारी अधिकारी की जिम्मेदारी सौंपी है।

निगम द्वारा सात प्रमुख विसर्जन स्थलों पर 13 क्रैन, 12 पोकलेन मशीन, 184 गोताखोर, जीवन रक्षक उपकरण तथा फायर फाय्दर और रेस्क्यू वाहन सहित 98 फायरकर्मी तैनात किए गए हैं। विसर्जन स्थलों और चल समारोह मार्गों पर 1665 एलईडी फ्लड लाइट के माध्यम से प्रकाश व्यवस्था की गई है।

प्रेमपुरा, रानी कमलापति, खटलपुरा, संत हिरदामन नगर, शाहपुरा, हथाईखेड़ा और



मालीखेड़ी के विसर्जन स्थलों पर क्रैन, प्रकाश व्यवस्था, फायर ब्रिगेड, गोताखोर तथा नियंत्रण कक्ष की व्यवस्था की गई है। घाटों और चल समारोह मार्गों पर साफ-सफाई, सड़क मरम्मत, बिजली के तारों का संधारण, पेड़ों की आवश्यकतानुसार छंटाई और आवार मवेशियों को हटाने की व्यवस्था भी की जा रही है।

प्रेमपुरा घाट पर चार क्रैन, दो पोकलेन मशीन, 46 गोताखोर और 24 फायरकर्मी तैनात किए गए हैं। रानी कमलापति घाट पर दो क्रैन, दो पोकलेन मशीन, 36

गोताखोर और 12 फायरकर्मी तथा अन्य घाटों पर भी आवश्यक संसाधन उपलब्ध कराए गए हैं। सभी घाटों पर लाइफ जैकेट, लाइफबॉय, ट्यूब, रस्सी, कांटा और ध्वनि विस्तारक यंत्र की व्यवस्था है।

निगम ने विसर्जन के बाद प्रतिमाओं के अवशेष शीघ्र निकालने के निर्देश दिए हैं। तन दिवस डोल ग्यारस पर 29 स्थानों पर व्यवस्था की गई थी, जहां लगभग 1500 से अधिक प्रतिमाओं का एकत्रीकरण और विसर्जन किया गया।

खादी-ग्रामोद्योग पर निबंध प्रतियोगिता में निशा प्रथम



नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: संस्कार विद्यालय में खादी और ग्रामोद्योग को बढ़ावा देने के लिए निबंध प्रतियोगिता का आयोजन किया गया। प्रतियोगिता में निशा उतवानी ने प्रथम, समीक्षा मेहरा ने द्वितीय तथा प्रीति वाधवानी ने तृतीय स्थान प्राप्त किया। विजेता प्रतिभागियों को पुरस्कृत कर सम्मानित किया गया।

विजेता प्रतिभागियों को खादी एवं ग्रामोद्योग आयोग के वरिष्ठ अधिकारियों अनिल टिलवानी, अर्चना पाल और संजय जैन तथा संस्था के अध्यक्ष सुशील वासवानी एवं सचिव बसंत चेलानी ने पुरस्कार प्रदान किए। इस अवसर पर उपस्थित लोगों ने खादी एवं ग्रामोद्योग को सम्मान देने और इसे दैनिक जीवन में

अपनाने का संकल्प लिया। समारोह के प्रारंभ में बसंत चेलानी ने कहा कि विद्यार्थियों में स्वदेशी की भावना जगाने और खादी के महत्व को समझाने के लिए ऐसे कार्यक्रमों का समय-समय पर आयोजन आवश्यक है।

अनिल टिलवानी ने बताया कि वर्ष 2023 से प्रतिवर्ष खादी महोत्सव मनाया जा रहा है। इस वर्ष भी 17 सितंबर से 17 अक्टूबर तक खादी महोत्सव का आयोजन हो रहा है। सुशील वासवानी ने कहा कि ऐसे आयोजनों से खादी ग्रामोद्योग को बढ़ावा मिलेगा और देश का विकास होगा। अतिथियों ने विद्यालय के सहयोग की प्रशंसा की। अंत में प्राचार्य आर.के. मिश्रा ने आभार व्यक्त किया।

मुख्यमंत्री ने आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना के 8 वर्ष पूर्ण होने पर बधाई दी

भोपाल : मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने ‘आयुष्मान भारत-प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना’ के 8 वर्ष पूर्ण होने पर सभी लाभार्थियों और देशवासियों को शुभकामनाएं दीं हैं। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में शुरू हुई यह जनकल्याणकारी पहल स्वस्थ भारत के संकल्प को साकार करने की दिशा में यह योजना गरीब और जरूरतमंद परिवारों के लिए विश्वास और सुरक्षा का आधार बनी है। योजना ने देश में स्वास्थ्य सेवाओं को जन-जन तक पहुंचाने और आर्थिक रूप से कमजोर परिवारों को इलाज की चिंता से राहत देने का महत्वपूर्ण कार्य किया है।

संचालक	अपर संचालक
संचालक	अपर संचालक
(जे.पी. चिकित्सालय परिसर, न्यू भवन, भोपाल)	लोक स्वास्थ्य एवं चिकित्सा शिक्षा विभाग
E-mail: fw.dhs@mp.gov.in	
क्रमांक/3/प000/सेल-1/2026/454	भोपाल, दिनांक 22/09/26
विभागीय विज्ञप्ति	
मध्यप्रदेश कर्मचारी चयन मंडल, भोपाल द्वारा संयुक्त भर्ती परीक्षा वर्ष 2024 के समूह-5 के अंतर्गत पद महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, (ए.एन.एम.- तृतीय श्रेणी) के परीक्षा परिणाम घोषित किये गये है। उक्त के दृष्टिगत महिला बहुउद्देशीय स्वास्थ्य कार्यकर्ता, (ए.एन.एम.-तृतीय श्रेणी) के 2024 के पदों की पूर्ति हेतु प्रतिलिप्त काउंसिलिंग प्रक्रिया को अंतिम अवसर देते हुये दिनांक 27.09.2026 तक बढाया जा रहा है।	
कृपया काउंसलिंग से संबंधित विस्तृत दिशा-निर्देश स्वास्थ्य विभाग की वेबसाईड health.mp.gov.in पर देखें।	

परिशिष्ट B-संख्यांक 13	परिशिष्ट B-संख्यांक 13
जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)	जिला एवं सत्र न्यायालय भोपाल तृतीय व्यवहार न्यायाधीश, कनिष्ठ खंड, भोपाल (आदेश 5 नियम 20 व्यवहार प्रक्रिया संहिता 1908 के अन्तर्गत प्रकाशन हेतु)
आरसीएस बी/371/2021 शैलेषा कुमार अहिरवार कन्या दूत दिन बिजनेस प्रिजेंट. NEXT DATE :07-10-2026	आरसीएस बी/371/2021 शैलेषा कुमार अहिरवार कन्या दूत दिन बिजनेस प्रिजेंट. NEXT DATE :07-10-2026
प्रेक्षी: रबी सुवंशी डाटा एम डी यूटू दिन बिजनेस प्रॉजि. पता- म.नं. 13 कवान साब्र की बग़ीचा मिन्नेरी के पास मिन्नेरी मंदिर बुधवार भोपाल हफ़े कि प्राथी शैलेषा कुमार अहिरवार ने आपके विरुद्ध आरसीएस बी/371/2021 के लिए वाद संचित्त किया है, आपको इस न्यायालय में सुनना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञात/हॉजिर होने के लये समन किया जाता है, आप न्यायालय में खय या किसी ऐसे लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंज्ञात हो सकते है, जिसे सम्मक अनुरदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबधित सभी सारवान कवनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रितिक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे या शक्ति में है पता करें जिन पर आपका प्रितिक्षा या मुजर्रां का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रितिक्षा या मुजर्रां के वादे या प्रतिवादे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है कि उसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सुची में प्रष्टित करें। आपको सुचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अधिष में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साक्षी ही यह भी सुचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 25-08-2026 को भरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गय है। कृपया ध्यान है:- यदि किसी कारणवश उपर लिथि को न्यायालय अदक्षता पर रहेगा तो आगामी कार्यदिनपर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।	प्रेक्षी: रू दू दिन बिजनेस प्रॉ. लि. पता- 206 द्वतीय तल रखा टॉवर चुनमट्टी भोपाल हफ़े कि प्राथी शैलेषा कुमार अहिरवार ने आपके विरुद्ध आरसीएस बी/371/2021 के लिए वाद संचित्त किया है, आपको इस न्यायालय में सुनना के प्रकाशन के 30 दिवस के भीतर वाद का उत्तर देने के लिये उपसंज्ञात/हॉजिर होने के लये समन किया जाता है, आप न्यायालय में खय या किसी ऐसे लीडर (अधिवक्ता) द्वारा उपसंज्ञात हो सकते है, जिसे सम्मक अनुरदेश दिये गये हो और जो इस वाद में संबधित सभी सारवान कवनों का उत्तर दे सके। आपको यह निर्देश भी दिया जाता है कि उस दिन अपनी प्रितिक्षा का लिखित कथन प्रस्तुत करें और उस दिन ऐसे सब दस्तावेज को आपके कब्जे या शक्ति में है पता करें जिन पर आपका प्रितिक्षा या मुजर्रां का दावा या प्रतिवादा आधारित हो, और यदि आप अन्य किसी दस्तावेज पर चाहे वह आपके कब्जे या शक्ति में हो अपनी प्रितिक्षा या मुजर्रां के वादे या प्रतिवादे के समर्थन में साक्ष्य के रूप में निर्भर करते है कि उसी सभी दस्तावेज की लिखित कथन के साथ उपलब्ध की जाने वाली सुची में प्रष्टित करें। आपको सुचित किया जाता है कि यदि आप उपर बताई गई अधिष में इस न्यायालय में उपस्थित नहीं होगे तो वाद की एक पक्षीय सुनवाई कर उसका निपटारा आपकी अनुपस्थिति में किया जाएगा। साक्षी यह भी सुचित किया जाता है कि यदि आप निराकरण मध्यस्थ के माध्यम से करने के इच्छुक है तो पीठासीन अधिकारी को अवगत करावे। यह आज तारीख 25-08-2026 को भरे हस्ताक्षर से और न्यायालय की मुद्रा लगाकर दिया गय है। कृपया ध्यान है:- यदि किसी कारणवश उपर लिथि की न्यायालय अदक्षता पर रहेगा तो आगामी कार्यदिनपर यह प्रकरण सुनवाई में लिया जावेगा।
सुश्री हेमलता अहिरवार, न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)	सुश्री हेमलता अहिरवार, न्यायाधीश तृतीय व्यवहार न्यायाधीश कनिष्ठ खण्ड भोपाल (म.प्र.)

स्वस्थ रहने की कला सीखने देशभर से आए साधक

नईदुनिया प्रतिनिधि, हिनप्र: आरोग्य केंद्र द्वारा पांच दिवसीय रोग निवारण एवं प्रशिक्षण शिविर आयोजित किया जा रहा है। इसमें देशभर से आए साधक प्राकृतिक उपचार, योग, प्राकृतिक एवं अयुर्व्व आहार, फिजियोथेरेपी, एक्यूप्रेशर, एक्यूपंचर, शिरोधारा और पोटली मसाज के माध्यम से स्वास्थ्य लाभ ले रहे हैं।

मेडिकल डायरेक्टर डॉ. गुलाब राय टेवानी ने व्याख्यान में बताया कि संस्था पिछले 37 वर्षों से किफायती एवं दवा रहित चिकित्सा प्रदान कर रही है। शिविर का मुख्य उद्देश्य प्राकृतिक चिकित्सा से संपूर्ण स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करना है। साधकों को प्राकृतिक आहार,

रसाहार, फलाहार, उपवास, योग और पंचतत्वों पृथ्वी, जल, अग्नि, वायु व आकाश द्वारा शरीर के शुद्धिकरण की कला सिखाई जा रही है। डॉ. टेवानी ने कहा कि गलत आहार और अस्वस्थ जीवनशैली ही बीमारियों की जड़ हैं। शरीर से विषैले तत्व बाहर निकालने के चार मुख्य मार्ग मल, मूत्र, पसीना और श्वास हैं। सही आहार, सकारात्मक सोच, मानसिक-शारीरिक शुद्धिकरण और डिजिटल शुद्धिकरण अपनाकर व्यक्ति स्वयं का चिकित्सक बन सकता है। समाज को जागरूक करने के उद्देश्य से शिविर के साथ स्वास्थ्य संबंधक प्रमाणपत्र पाठ्यक्रम भी शुरू किया गया है।

CHANGE OF NAME I, K S SUNDER, S/o. KS SIVARAMAN aged 63 years, residing at 2B-Royal Residency E-8 Extension Trilanga Bhopal , have changed my name from KS Sunder to Kalpathi Sivaraman Sunder S/o Shri Kalpathi Sankarnarayan Sivaraman as per Affidavit dated 19 September 2026, issued by Notary Public Delhi for all purposes

1751

कार्यालय कृषि बीज उत्पादक एवं विपणन सहकारी संस्था मर्यादित, बैरसिया
पंजीयन क्रमांक/एस.एच.आर. D.R.B 909/06-8-2002
वार्षिक साधारण सभा की सूचना
संस्था के समस्त अशधारी सदस्यो को सुचित किया जाता है कि संस्था की वार्षिक साधारण सभा वर्ष 2025-26 दिनांक 27-09-26 दिन रविवार को संस्था कार्यालय बैरसिया मण्डी प्रांगण में दोपहर 12 बजे से आयोजित की गई है, जिसमें आपकी उपस्थिती प्राथनीय है। सभी माननीय सदस्यों का विषय सुची की सूचना डाक द्वारा प्रथक से भेजी जा चुकी है। अध्यक्ष महोदय के आदेशानुसार।
सोमेश शर्मा प्रबंधक
कृषि बिज उत्पादक एवं विपणन सहकारी समिति मर्या, बैरसिया

1748

मुख्यमंत्री ने राष्ट्र कवि दिनकर की जयंती पर किया नमन

नप्र, भोपाल: मुख्यमंत्री डॉ. मोहन यादव ने राष्ट्रीय चेतना के ओजस्वी स्वर, राष्ट्रकवि रामधारी सिंह ‘दिनकर’ की जयंती पर नमन किया। डॉ. यादव ने अपने संदेश में कहा कि पद्मभूषण से सम्मानित स्व. ‘दिनकर’ ‘रश्मिरथी’, ‘कुरुक्षेत्र’ और ‘उर्वशी’ जैसी कालजयी कृतियों के माध्यम से उन्होंने साहित्य में राष्ट्रप्रेम, स्वाभिमान, शौर्य और मानवीय संवेदनाओं को सशक्त स्वर दिया। उनकी रचनाएं आज भी समाज और राष्ट्र के प्रति अपने कर्तव्य के लिए हम सभी को प्रेरित करती हैं।

मध्यप्रदेश शासन	मध्यप्रदेश शासन
सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दूरभाष क्र.-0755-2512077, 2512076	सामान्य प्रशासन विभाग (अधीक्षण शाखा) मंत्रालय, वल्लभ भवन, भोपाल दूरभाष क्र.-0755-2512077, 2512076
क्रमांक एफ 2/2/15/0005/2025/12-1/चाहिर/2308	भोपाल, दिनांक 21/09/2026
पंचम ई-निविदा सूचना	पंचम ई-निविदा सूचना
मध्यप्रदेश राज्य मंत्रालय अंतर्गत सामान्य प्रशासन विभाग/मुख्यमंत्री कार्यालय एवं विभागीय अधिकारियों के शासकीय उपयोग के लिए 26 वाहन कारिये पर लिये जाने हेतु ऑनलाईन पंचम ई-निविदा ई-प्रोक्योरमेंट प्रॉटल https://mptenders.gov.in के माध्यम से आमंत्रित की जाती है, जिसका सक्षिप्त विवरण निम्नानुसार है :-	
1. ऑन लाईन निविदा प्रपत्र का मूल्य एवं निविदा प्रोसेसिंग फीस	रुपये 1000/- प्रोसेसिंग शुल्क
2. निविदा फार्म ऑनलाईन क्रय करने की प्रारंभ तिथि व समय	दिनांक 23/09/2026 समय अपराह्न 12:00 बजे से
3. निविदा फार्म ऑनलाईन जमा करने की अंतिम तिथि व समय	दिनांक 14/10/2026 समय अपराह्न 12:00 बजे तक
4. निर्धारित अवधि में प्राप्त ऑनलाईन निविदाओ को निविदाओं को खोलने की तिथि एवं समय	1.टेंडिकलन बिड- दिनांक 16/10/2026 समय अपराह्न 12:00 बजे 2. कायनंशियल बिड- दिनांक 16/10/2026 समय अपराह्न 12:30 बजे
5. प्राप्त निविदाएं खोले जाने का स्थान	मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक-116 (समिति कक्ष)
6. निविदाओं को खोलते समय निविदाकारों की उपस्थिति प्राथनीय है।	मंत्रालय स्थित कक्ष क्रमांक-116 (समिति कक्ष)

2/ई-निविदा सूचना में कोई भी संशोधन समाचार पत्रों में प्रकाशित न किया जाकर वेबसाईट पर ही जारी किये जायेंगे। निविदा की विस्तृत शर्तें एवं जानकारी उपरोक्त वेबसाईट के माध्यम से प्राप्त की जा सकती है।

जी-18977/26	जी-18977/26
सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसाइटी लिमिटेड, भोपाल Reg. No. DRB/1458 Under Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 Bhopal Branch: 1st Floor, Masjid Nastaran Bazar, Baal Vihar, Ghora Nakkas, Bhopal - 462001 फ़ांन्क- DRB/1458/06/26 दिनांक-13/09/2026	सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भोपाल Reg. No. DRB/1458 Under Madhya Pradesh Co-operative Societies Act, 1960 Bhopal Branch: 1st Floor, Masjid Nastaran Bazar, Baal Vihar, Ghora Nakkas, Bhopal - 462001 फ़ांन्क- DRB/1458/06/26 दिनांक-13/09/2026
आम सभा की सूचना	आम सभा की सूचना
सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भोपाल के सभी सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 30/09/2026 दिन बुधवार शाम 07:00 बजे से मिन्नेरी स्थित इड्डिगन शादी हॉल, भोपाल में आयोजित की जाएगी। जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथनीय है। विवरण निम्नानुसार है :- 1. गत वर्ष की वार्षिक आम सभा की कार्यवाही का अनुमोदन 2. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित वित्तीय पत्रों का अवलोकन एवं अनुमोदन 1 3. आगामी वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित वार्षिक कार्य योजना की स्वीकृति 4. आगामी वर्ष 2026-27 के लिए प्रस्तावित वार्षिक बजट की स्वीकृति 5. वर्ष 2025-26 के लिए लेखाओं की सांविधिक अंकेक्षक की नियुक्ति के लिए स्वीकृति 6. अन्य विषय अध्क्षकों की अनुमति से। नोट:- गणपुर्ति के अभाव में कारवाई स्थगित कर आधा घंटे पश्चात उसी दिनांक एवं स्थान पर पुनः प्रारंभ की जाएगी इसमें गणपुर्ति अनावश्यक होगी।	सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड भोपाल के सभी सम्मानीय सदस्यों को सूचित किया जाता है कि समिति की वार्षिक आमसभा दिनांक 30/09/2026 दिन बुधवार को दोपहर 12:00 बजे संस्था के नवीन भवन करोड मण्डल प्रांगण भोपाल में आयोजित की जावेगी, जिसमें आपकी उपस्थिति प्राथनीय है। साधारण सभा में निम्न विषयो पर विचार किया जावेगा-- 1. संस्था का वार्षिक प्रतिवेदन 1 2. वर्ष 2026-27 के प्रस्तावित बजट की स्वीकृति बाबत 1 3. वित्तीय वर्ष 2024-25 में किये गये व्ययों का अनुमोदन करना 1 4. वित्तीय वर्ष 2025-26 के अंकेक्षित पत्रको का अवलोकन करना 1 5. वर्ष 2026-27 के लेखाओं की वैधानिक लेखा संपरीक्षा हेतु संपरीक्षक की नियुक्ति करने बाबत विचार 1 6. नागरिक अभुर्ति निगम एवं विपणन संघ से वसुली की कार्यवाही के संबंध में विचार 1 7. संस्था को भोपाल को-आपरेटिव रेन्टल बैंक की देय राशि के संबंध में न्यायालयीन प्रकरण के संबंध में विचार। नोट:- गणपुर्ति के अभाव में उपनिर्णय के अन्तर्गत बैठक आधा घण्टे के लिये स्थगित की जाकर उसी दिन उसी स्थान पर पुनः निर्धारित विषयों के विचारार्थ दोपहर 12.30 बजे प्रारंभ होगी, जिसमें गणपुर्ति की आवश्यकता नहीं होगी तथा लिये गये निर्णय समस्त सदस्यों को मान्य होंगे।
अध्यक्ष सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल	अध्यक्ष सहलत क्रेडिट को-ऑपरेटिव सोसायटी लिमिटेड, भोपाल
(रामसेवक शर्मा) प्रबंधक	(रामसेवक शर्मा) प्रबंधक

1746

-- जाहिर सूचना --
सर्व साधारण को सूचित किया जाता है कि मेरे प्लकार श्री गुलाब सिंह आलम स्‍व. श्री बाबुलाल जी, निवासी : प-36, विनायक कैम्‍पस, करौलीया जाम्, निवातपुरा, भोपाल द्वारा फिक्कत 04/04/2014 को श्रीमती निवासी श्रीजी टॉपर अशोका गार्डन भोपाल से एक फिक्ता जबरिकत कृषि खण्ड क्र. 04 जो कि खसरा क्र. 173/1/2, एकवा 0480 हैक्टेडर का अंग भाग होकर गाम नहौली, पटवारा हड्का नं. 21, राजस्व निरीक्षक मण्डल वृत्त 03 तहसील डुवर, जिला भोपाल में स्थित है तथा उक्त जबरिकत कृषि खण्ड का माप 20X40, कुल क्षेत्रफल 800 वर्गफीट (7434) वर्गफीट है जिसका नामांतरण श्री मेरे प्लकार श्री गुलाब सिंह से अपने नाम कर लिया है जिसका निवासी खसरा क्र. 173/1/2/2 (S) है। फिक्कत पत्र में उपरोक्त जबरिकत कृषि खण्ड की वर्तमान माप में चतुर्ध दिशाएं निम्नानुसार हैं--पूर्व मैं श्री ओमकाश विश्‍वकर्मा जी का मकान, पश्चिम मैं--कृषि खण्ड क्र. 03, उत्तर मैं--रस्ता, दक्षिण मैं--रस्ता है तथा मेरा प्लकार अपने स्वल्न व स्वाधिनत्व के उपरान्त कृषि खण्ड पर अक्टूबर 2026 के पश्चात्त कमी भी अपने कृषि खण्ड क्र. 04 (तीसई 20 फीट X लम्बाई 40 फीट) कुल 800 वर्गफीट पर नवन निर्माण प्राप्त कर रहा है, यदि किसी व्यक्ति, मूल्ख बिक्री, मूल्ख के पड़ोसी, खराबी, बैंक, शासकीय/बर्द्धशासकीय विस्तर संस्था, सोसायटी या अन्य इस्त्वादि को कोई आपत्ति हो तो 7 दिन के अन्तर मेरे कार्यालय के उपरोक्त पत्र पर व्यतिरिक्त रूप से लाक्षण सहित उपस्थित होकर या लिखित में आपत्ति प्रस्तुत करें अन्यथा मेरे प्लकार द्वारा उक्त कृषि खण्ड पर निर्माण प्राप्त कर दिया जावेगा। इसके पश्चात्त कोई आपत्ति मान्य नहीं होगी।
शोभा दुबे अधिवक्ता
ए-47, शास्त्री नगर भोपाल (म.प्र.)
मो.-8839361599,9977013307

1745